तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व त... अहकाम ज... हुक्म की त... में जारी
06.02.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई वांछित जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 288/भू.अ./2025 दिनांक 27.01.2025 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। वकील वादीगण ने साक्ष्य वादी में वादी संख्या 1 कालूराम शर्मा का मुख्य परीक्षण का लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किया। जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में साक्ष्य वादी में शपथ पत्र पेश हो जाने व तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से बहस सुनी जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादीगण एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 24.02.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
24.02.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड का न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर वादपत्र को डिक्री किया जाता है। उक्तानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को खातेदारी दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व [illegible] अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार [illegible] डिक्री [illegible] हो [illegible] फैसल शुमार होकर बाद तकमील [illegible] हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:47:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
42 / 2024	2024 / 096	03.04.2024	24.02.2025

उनवान प्रकरण

1. कालूराम शर्मा पुत्र स्व0 रामगोपाल शर्मा आयु 48 साल
2. हरफूल शर्मा पुत्र स्व0 रामगोपाल शर्मा आयु 42 साल
3. सन्तोष देवी पत्नी स्व0 रामगोपाल शर्मा आयु 70 साल
4. उर्मिला देवी पुत्री स्व0 रामगोपाल शर्मा आयु 40 साल
5. किरण देवी पुत्री स्व0 रामगोपाल शर्मा आयु 35 साल

   समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम कंचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

6. महेश कुमार पुत्र स्व0 श्रीमती सावित्री देवी दोहिता स्व0 रामगोपाल आयु 26 साल
7. समता शर्मा पुत्री स्व0 श्रीमती सावित्री देवी दोहिता स्व0 रामगोपाल आयु 23 साल

   समस्त जाति ब्राह्मण निवासी मदनी मण्ढ़ा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राजस्थान।

–वादीगण–

बनाम्

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:47:26 IST
Reason: SelfAttested

भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर [illegible] (राज0)

——प्रतिवादी——

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपस्थित :-

श्री रामजीलाल सैनी, झाबर मल कुड़ी, एड0 वादीगण अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

वाद पत्र बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड
(अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि. 1955)

-:: निर्णय ::-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी इस आशय से प्रस्तुत किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375 कुल किता 7 कुल रकबा 4.40 हैक्टर एंव भूमि खसरा नम्बर 354/2, 355 कुल किता 2 कुल रकबा 2.78 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम कचंनपुर पटवार हल्का कचंनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0 के राजस्व रिकार्ड में 1/6-1/6 हिस्से का गोपाल पुत्र झूंथाराम के नाम दर्ज चला आ रहा है जबकि वादीगण के पिता/पति का सही एंव वास्तविक नाम रामगोपाल पुत्र झूथांराम है जबकि राजस्व रिकार्ड में गोपाल गलत अंकित है। वादीगण के पिता/पति की सही वल्दियत रामगोपाल है। उक्त वर्णित भूमियॉ वादीगण की पैत्रृक शामलाती कृषि भूमियॉ है। सैटलमेंट के वक्त राजस्व कर्मचारियों एंव अधिकारियों ने सहवन से वादीगण के पिता/पति का नाम गोपाल दर्ज कर दिया गया जो कि गलत है। जबकि वादीगण के पिता/पति/नाना का सही एंव वास्तविक नाम रामगोपाल है। यही सही नाम वादीगण के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि में दर्ज है जो सही एंव सत्य है तथा रामगोपाल को गॉव में गोपाल के नाम से भी जाना व पहचाना जाता था। इस कारण दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। वादीगण उक्त वर्णित कृषि भूमियों में अपने पति/पिता के [illegible] काबिज काश्त चले आ रहे है तथा अब वर्तमान में वादीगण [illegible] हो चुका है तथा वादीगण ने अपने मृत्तक पति/पिता के नाम दर्ज [illegible] का नामान्तकरण अपने नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:47:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) (मुहर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

कराने गये तो राजस्व रिकार्ड मे अपने पिता/पति का नाम रामगोपाल के स्थान पर गोपाल होने की जानकारी हुई तब वादीगण ने राजस्व कर्मचारियो को कहा तो उन्होनें 10 रोज पूर्व इन्कार कर दिया एव कोर्ट मे दावा पेश करने की कही। इस कारण दावा पेश किया जा रहा है। राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पति/पिता का नाम सही अकित नही होने से वादीगण को सख्त हकतलफी है। राज्य सरकार द्वारा खातेदारों को दी जाने वाली सुविधाओ से भी वादीगण को वंचित रहना पड़ रहा है। वादीगण राजस्व रिकार्ड मे अपने पति/पिता कानाम रामगोपाल दुरूस्त करवाने के अधिकारी है तथा उक्तानुसार दुरूस्ती की जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता/पति का नाम गोपाल के स्थान पर रामगोपाल दर्ज किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड वादी के नाम किया जाना न्यायोचित है। खातेदार रामगोपाल की एक पुत्री संतान सावित्री फौत हो चुकी है जिसके वारिसान प्रतिवादी नम्बर 6 व 7 है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि घोषणा बाबत दुरूस्ती इस अमर की पारित की जावे कि तन ग्राम कचंनपुर पटवार हल्का कंचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0 में अवस्थित कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375 कुल किता 7 कुल रकबा 4.40 हैक्टर एंव भूमि खसरा नम्बर 354/2, 355 कुल किता 2 कुल रकबा 2.78 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड 1/6–1/6 हिस्से का गोपाल पुत्र झूंथाराम के स्थान पर रामगोपाल पुत्र झूंथाराम दर्ज कर वादीगण के पैतृक हिस्सानुसार खातेदारी दुरूस्त की जावे एवं उक्तानुसार दुरूस्ती हेतू भूमिधारी तहसीलदार को आदेश किए जाने का निवेदन वकील वादीगण ने अपने वादपत्र में किया हैं।

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की तामील असालतन हो जाने के बावजूद हाज़िर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 38/भू.अ./2025 दिनांक 27.01.

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:47:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

2025 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने पटवारी हल्का कचनपुर की मूल फर्द मौका जॉच रिपोर्ट को अग्रिम कार्यवाही हेतु इस न्यायालय को प्रेषित की है। पटवारी हल्का कचंनपुर ने अपनी जॉच मौका रिपोर्ट में अवगत कराया है कि राजस्व ग्राम कचंनपुर पटवार मण्डल कचंनपुर के भूमि खसरा नम्बर 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375 कुल किता 7 कुल रकबा 4.40 हैक्टर एंव भूमि खसरा नम्बर 354/2, 355 कुल किता 2 कुल रकबा 2.78 हैक्टर के खातेदार गोपाल पुत्र झूंथाराम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा गोपाल पुत्र झूंथाराम जाति ब्राह्मण निवासी कचंनपुर का ही निवासी था जिसकी वर्तमान में मृत्यु हो चुकी है तथा गोपाल पुत्र झूंथाराम का सही नाम रामगोपाल पुत्र झूंथाराम जाति ब्राह्मण निवासी कचंनपुर ही है। मौके पर उपस्थित मौत–बिरानो से पूछताछ एवं प्रार्थी द्वारा मौके पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज मृत्यु प्रमाण पत्र व पहचान पत्र आदि में मृतक खातेदार का नाम रामगोपाल पुत्र झूंथाराम सही होना पाया गया। इस प्रकार मृतक खातेदार का नाम रामगोपाल पुत्र झूंथाराम दर्ज होना पाया गया। प्रकरण में साक्ष्य वादी में वादी कालूराम शर्मा पुत्र स्व0 रामगोपाल शर्मा का मुख्य परीक्षण में लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किया गया। वकील वादीगण ने वादपत्र में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने व साक्ष्य वादी हो जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील वादीगण की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीगण द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की दो जमाबंदीया, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, सामाजिक सुरक्षा [illegible] स्लिप, मृत्यु प्रमाण पत्र रामगोपाल व सावित्री देवी, परिवार [illegible] सरपंच, ग्राम पंचायत कचंनपुर द्वारा नाम के सम्बन्ध में [illegible] पटवारी हल्का कचंनपुर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भि[illegible]ई गई अभिशंषा रिपोर्ट इत्यादि

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:47:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तन ग्राम कचंनपुर पटवार हल्का कचंनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0 में अवस्थित कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375 कुल किता 7 कुल रकबा 4.40 हैक्टर एव भूमि खसरा नम्बर 354/2, 355 कुल किता 2 कुल रकबा 2.78 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में 1/6 – 1/6 हिस्से का गोपाल पुत्र झूंथाराम के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है, जबकि अन्य दस्तावेजात् यथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, ग्राम पंचायत कचंनपूर द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में वादीगण के पिता/पति का नाम रामगोपाल पुत्र झूंथाराम तथा वादीगण के मतदाता फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, वादीगण के नाम के आगे पिता का नाम रामगोपाल दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का कंचनपुर की फर्द मौका जॉच रिपोर्ट में भी वादीगण के पिता/पति का नाम गोपाल पुत्र झूंथा के स्थान पर रामगोपाल पुत्र झूंथाराम नाम सही होना पाया गया है। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वादीगण के पिता/पति का नाम गोपाल पुत्र झूंथा के स्थान पर रामगोपाल पुत्र झूंथाराम शुद्ध किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि तन ग्राम कचंनपुर पटवार हल्का कंचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0 में अवस्थित कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 369, 370, 37[illegible]73, 374, 375 कुल किता 7 कुल रकबा 4.40 हैक्टर एंव भूमि खसरा नम्बर [illegible]/2, 355 कुल किता 2 कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:47:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

रकबा 2.78 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में 1/6 – 1/6 हिस्से की खातेदारी गोपाल पुत्र झूंथाराम के स्थान पर रामगोपाल पुत्र झूंथाराम घोषित किया जाता है। उक्तानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को खातेदारी दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 24.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:47:26 IST
Reason: SelfAttested